

2021-22
के संबंध में
केन्द्रीय सरकार के व्यय
के लिए
अतिरिक्त अनुदानों की मांगें

# DEMANDS FOR EXCESS GRANTS for EXPENDITURE OF THE CENTRAL GOVERNMENT

## **RELATING TO**

2021-22

संविधान के अनुच्छेद 115 के खण्ड (1)(ख) के अनुसरण में लोकसभा में प्रस्तुत Presented to the Lok Sabha in pursuance of clause (1) (b) of Article 115 of the Constitution

[राष्ट्रपति की सिफारिश, जो मांगों को प्रस्तुत करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 115 के खण्ड (1)(ख) और (2) के साथ पठित अनुच्छेद 113 के खण्ड (3) के अधीन आवश्यक है, प्राप्त कर ली गई है|

[The recommendation of the President, required under clause (3) of Article 113 read with clauses (1)(b) and (2) of Article 115 of the Constitution for making the Demands has been obtained]

#### प्रस्तावना टिप्पणी

इस खंड में निहित अतिरिक्त अनुदानों की मांगें कुछ मांगों के तहत वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान किए गए वास्तविक व्यय को दर्शाती हैं, जो उस वर्ष के लिए संसद द्वारा स्वीकृत की गई राशि से अधिक हैं।

- 2. 2021-22 के दौरान 2 अनुदानों और 2 विनियोजनों में कुल
   ₹ 1291,13,75,174 की अतिरिक्त राशि व्यय हुई।
- 3. संबंधित मांगों/विनियोजनों में अधिक व्यय के कारणों को इस पुस्तिका में निहित अधिक मांग विवरणों में स्पष्ट किया गया है।
- 4. उपरोक्त अतिरिक्त व्यय की जांच लोक लेखा समिति द्वारा की गई है, जिसने पहली रिपोर्ट (अठारहवीं लोक सभा) के भाग-II के पैराग्राफ 15 के अनुसार भारत के संविधान के अनुच्छेद 115(1)(ख) के तहत उनके नियमितीकरण की सिफारिश की है।

#### INTRODUCTORY NOTES

The Demands for Excess Grants contained in this Volume represent the actual expenditure incurred during FY 2021-22 under certain Demands which are in excess of the amounts granted by the Parliament for that year.

- 2. The excess expenditure during 2021-22 occurred in 2 Grants and 2 Appropriation amounting to a total of ₹1291,13,75,174.
- 3. The reasons for excess expenditure in respective Demands/ Appropriations have been explained in the Excess Demand Statements contained in this booklet.
- 4. The above excess expenditure has been scrutinised by the Public Accounts Committee, who, vide paragraph 15 of Part-II of First Report (Eighteenth Lok Sabha), has recommended their regularisation under Article 115(1)(b) of the Constitution of India.

## वर्ष 2021-2022 के दौरान संसद द्वारा स्वीकृत अनुदानों/विनियोगों से हुए अतिरिक्त व्यय को दर्शाने वाला विवरण Statement showing the expenditure incurred in excess of the Grants Voted/Appropriations made by Parliament during 2021-2022

मांग की संख्या और शीर्षक		_			अंतिम अनुदान/विनियोग Final Grant/ Appropriation	वास्तविक व्यय Actual Expenditure ₹	अतिरिक्त व्यय Excess Expenditure ₹	पृष्ठों क संदर्भ Ref. to pages	
राजस्व से पूरा किया गया		I.	EXPENDITURE MET						_
व्यय			FROM REVENUE						
उर्वरक विभाग	स्वीकृत	6	Department of Fertilisers	Voted	157291,93,00,000	157785,30,93,293	493,37,93,2	293 1	i
रक्षा मंत्रालय (सिविल)	भारित	18	Ministryof Defence(Civil)	Charged	2,22,00,000	2,25,16,544	3,16,	544 2	2
पेंशन	स्वीकृत	39	Pensions	Voted	63605,12,00,000	64347,68,55,188	742,56,55,	188 3	3
कुल राजस्व			<b>TOTAL Revenue</b>		220899,27,00,000	222135,24,65,025	1235,97,65,0	)25	
	भारित			Charged	2,22,00,000	2,25,16,544	3,16,	544	
	स्वीकृत			Voted	220897,05,00,000	222132,99,48,481	1235,94,48,4	181	
पूंजी से पूरा किया गया व्यय			EXPENDITURE MET FROM CAPITAL						
रेल मंत्रालय	भारित	84	Ministry of Railways	Charged	699,00,00,000	753,80,99,395	55,16,10,	149 4	1
कुल पूंजी			TOTAL Capital		699,00,00,000	753,80,99,395	55,16,10,1	149	
	भारित			Charged	699,00,00,000	753,80,99,395	55,16,10,	149	
कुल योग			GRAND TOTAL		221598,27,00,000	222889,05,64,420	1291,13,75,	174	
	भारित			Charged	701,22,00,000	756,06,15,939	55,19,26,6	593	
	स्वीकृत			Voted	220897,05,00,000	222132,99,48,481	1235,94,48,4	481	
	और शीर्षक  राजस्व से पूरा किया गया व्यय  उर्वरक विभाग रक्षा मंत्रालय (सिविल) पेंशन कुल राजस्व  पूंजी से पूरा किया गया व्यय रेल मंत्रालय कुल पूंजी	अौर शीर्षक  राजस्व से पूरा किया गया  व्यय  उर्वरक विभाग स्वीकृत रक्षा मंत्रालय (सिविल) मारित पेंशन स्वीकृत कुल राजस्व  पृंजी से पूरा किया गया व्यय रेल मंत्रालय मारित कुल यंग	शौर शीर्षक of solution of sol	और शीर्षक       of Demand         राजस्व से पूरा किया गया       I.       EXPENDITURE MET         व्यय       FROM REVENUE         उर्वरक विभाग       स्वीकृत       6       Department of Fertilisers         ख्या मंत्रालय (सिविल)       मारित       18       Ministryof Defence(Civil)         पेंशन       स्वीकृत       39       Pensions         TOTAL Revenue         मारित       स्वीकृत       EXPENDITURE MET         पूंजी से पूरा किया       मारित       84       Ministry of Railways         कुल पूंजी       मारित       TOTAL Capital         मारित       GRAND TOTAL       मारित	और शीर्षक of Demand राजस्व से पूरा किया गया उर्वरक विभाग स्वीकृत 6 Department of Fertilisers Voted एक्षा मंत्रालय (सिविल) मारित 18 Ministryof Defence(Civil) Charged पेशन स्वीकृत 39 Pensions Voted कुल राजस्व मारित स्वीकृत किया पंजी से पूरा किया पंजी से पूरा किया मारित विमान प्रात्व 84 Ministry of Railways Charged कुल पंजी मारित 84 Ministry of Railways Charged कुल पंजी ТОТАL Capital मारित तिमारित प्रात्व (सिविल) मारित (तिमारित) मारित किया मारित किया पंजी से पूरा किया मारित अ Ministry of Railways Charged कुल पंजी ТОТАL Capital मारित (तिमारित) मारित (तिमारित) प्रात्व (तिमारित) प्रात्व (तिमारित) प्रात्व (तिमारित) प्रार्व (तिमारित) प्रार्व (तिमारित) प्रात्व (तिमारित) प्रार्व (तिमारित) प्रार्व (तिमारित) प्रार्व (तिमारित) प्रार्व (तिमारित) (तिमारित	मांग की संख्या और शीर्षक Pinal Grant/ Appropriation Demand Pinal Grant/ Appropriation हैं।  राजस्व से पूरा किया गया I. EXPENDITURE MET व्यय FROM REVENUE उर्वरक विभाग स्वीकृत 6 Department of Fertilisers Voted 157291,93,00,000 स्था मंत्रालय (सिविल) मारित 18 Ministryof Defence(Civil) Charged 2,22,00,000 कुल राजस्व प्रीकृत 39 Pensions Voted 63605,12,00,000 स्वीकृत राजस्व TOTAL Revenue 220899,27,00,000 स्वीकृत राजस्व EXPENDITURE MET गया व्यय EXPENDITURE MET गया व्यय FROM CAPITAL रेल मंत्रालय मारित 84 Ministry of Railways Charged 699,00,00,000 कुल प्रंजी मारित प्रारित 84 Ministry of Railways Charged 699,00,00,000 कुल प्रंजी TOTAL Capital Charged 699,00,00,000 कुल प्रंजी GRAND TOTAL (Revenue 221598,27,00,000 कुल योग GRAND TOTAL (Revenue 221598,27,00,000 600 600,000 600 600,000 600 600,000 600 6	मांग की संख्या और शीर्षक शिका गया हिमाना ह	मांग की संख्या और शीर्षक शिक्या गया है	मांग की संख्या को संख्या को संख्या की संख्या कि संख्या के स्थान कि संख्या के स्थान कि संख्या के स्थान कि सांख्या कि संख्या के स्थान कि सांख्या कि स

## उर्वरक विभाग DEPARTMENT OF FERTILISERS

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अंतर्गत उर्वरक विभाग के संबंध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए अनुदान से अधिक व्यय की गई राशि।

Amount expended in excess of the Grant for the year ended 31st March, 2022, in respect of the **DEPARTMENT OF FERTILISERS** under **MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILISERS**.

स्वीकृत (राजस्व): चार सौ तिरानवे करोड़ सैंतीस लाख तिरानवे हजार दौ सौ तिरानवे रुपये

Voted (Revenue): Four hundred ninety three crore thirty seven lakh ninety three thousand two hundred ninety three rupees

भाग Section	अन्तिम अनुदान/ Final Grant ₹	वास्तविक व्यय/ Actual Expenditure ₹	अतिरिक्त व्यय/ Excess ₹
राजस्व Revenue			
स्वीकृत Voted	157291,93,00,000	157785,30,93,293	493,37,93,293

₹83596,77,00,000 के मूल विनियोजन को वित्त वर्ष 2021-2022 में प्राप्त किए गए ₹73695,16,00,000 के अनुपूरक विनियोजन से संवर्धित किया गया था। ₹157291,93,00,000 के अंतिम विनियोजन के मुकाबले, वास्तिवक व्यय ₹157785,30,93,293 था, परिणामस्वरूप ₹493,37,93,293 का अतिरिक्त व्यय हुआ, जिसका नियमितीकरण किया जाना अपेक्षित है। अतिरिक्त व्यय किया गया क्योंकि यूरिया सब्सिडी योजना (स्वदेशी और आयातित) के लिए बजट के आवंटन के समय वसूली की राशि अर्थात ₹4930 करोड़ को सकल बजट राशि बनाने के लिए ₹15,000 करोड़ में जोड़ा गया था। हालांकि, ₹15,000 करोड़ का आंकड़ा पहले से ही वसूलियों का सकल था। अतः, समग्र राजस्व भाग में ₹4436.65 करोड़ के अभ्यर्पण के बावजूद, राजस्व भाग में ₹493,37,93,293 का अतिरिक्त राजस्व व्यय हुआ।

The Original Appropriation of ₹83596,77,00,000 was augmented by total Supplementary Appropriation of ₹73695,16,00,000 obtained in financial year 2021-2022. Against the Final Appropriation of ₹157291,93,00,000 the actual expenditure was ₹157785,30,93,293 resulting in an excess expenditure of ₹493,37,93,293 which requires regularisation. The excess expenditure was incurred as at the time of allocation of budget for Urea Subsidy scheme (Indigenous and Imported), the amount of Recoveries i.e. ₹4,930 crore was added to ₹15,000 crore to make it Gross Budget figure. However, the figure of ₹15,000 crore was already Gross of Recoveries. Hence, despite the surrender of ₹4,436.65 crore in the overall Revenue Section, there was an excess expenditure of ₹493,37,93,293 occurred in the Revenue Section.

## रक्षा मंत्रालय (सिविल) MINISTRY OF DEFENCE (CIVIL)

रक्षा मंत्रालय के तहत रक्षा मंत्रालय (सिविल) के संबंध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए अनुदान से अधिक व्यय की गई राशि।

Amount expended in excess of the Grant for the year ended 31st March, 2022, in respect of the **MINISTRY OF DEFENCE** (CIVIL) under **MINISTRY OF DEFENCE**.

भारित (राजस्व) : तीन लाख सोलह हजार पांच सौ चवालीस रुपये।

Charged (Revenue): Three lakh sixteen thousand five hundred forty four rupees.

भाग Section	अन्तिम अनुदान/ Final Grant	वास्तविक व्यय/ Actual Expenditure	अतिरिक्त व्यय/ Excess
	₹	₹	₹
राजस्व Revenue			
भारित Charged	2,22,00,000	2,25,16,544	3,16,544

₹70,00,000 के मूल विनियोजन को वित्त वर्ष 2021-2022 में प्राप्त ₹1,52,00,000 के कुल अनुपूरक विनियोजन द्वारा संवर्धित किया गया था। ₹2,22,00,000 के अंतिम विनियोजन के मुकाबले, वास्तविक व्यय ₹2,25,16,544 था, परिणामस्वरूप ₹3,16,544 का अतिरिक्त व्यय हुआ जिसका नियमितीकरण किया जाना अपेक्षित है। न्यायालयी मामलों की अधिक संख्या को अंतिम रूप दिए जाने के कारण अतिरिक्त व्यय हुआ था। भारित भाग के तहत विभिन्न उप-र्शीषों के अंर्तगत ₹43,42,000 की कुल बचत को घटाकर ₹46,59,000 के कुल अतिरिक्त व्यय के निवल प्रभाव में ₹3,16,544 का अतिरिक्त व्यय हुआ।

The Original Appropriation of ₹70,00,000 was augmented by a total Supplementary Appropriation of ₹1,52,00,000 obtained in financial year 2021-2022. Against the Final Appropriation of ₹2,22,00,000 the actual expenditure was ₹2,25,16,544 resulting in an excess expenditure of ₹3,16,544 which requires regularisation. The excess expenditure was incurred due to finalisation of more number of court cases. The excess of ₹3,16,544 was the net effect of total excess of ₹46,59,000 less total savings of ₹43,42,000 under various sub heads of the Grant under charged portion.

## पेंशन PENSIONS

वित्त मंत्रालय के तहत पेंशन के संबंध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए अनुदान से अधिक व्यय की गई राशि।

Amount expended in excess of the Grant for the year ended 31st March, 2022, in respect of the **PENSIONS** under **MINISTRY OF FINANCE.** 

स्वीकृत (राजस्व)ः सात सौ बयालीस करोड़ छप्पन लाख पचपन हजार एक सौ अठासी रुपये। Voted (Revenue): Seven hundred forty two crore fifty six lakh fifty five thousand one hundred eighty eight rupees.

भाग Section	अन्तिम अनुदान/ Final Grant ₹	वास्तविक व्यय/ Actual Expenditure ₹	अतिरिक्त व्यय/ Excess ₹
राजस्व Revenue			
स्वीकृत Voted	63605,12,00,000	64347,68,55,188	742,56,55,188

₹56473,12,00,000 के मूल विनियोजन को वित्त वर्ष 2021-2022 में प्राप्त ₹7132,00,00,000 के कुल अनुपूरक विनियोजन द्वारा संवर्धित किया गया था। ₹63605,12,00,000 के अंतिम विनियोजन के मुकाबले, वास्तविक व्यय ₹64347,68,55,188 था, जिसके परिणामस्वरूप ₹742,56,55,188 का अतिरिक्त व्यय हुआ, जिसका नियमितीकरण किया जाना अपेक्षित है। अतिरिक्त व्यय स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति मामलों, आकिस्मिक व्ययों और सरकारी कर्मचारियों की आकिस्मिक मृत्यु के कारण किया गया था। पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ सरकार की प्रतिबद्ध देनदारियां हैं और ये अपरिहार्य प्रकृति के हैं।

The Original Appropriation of ₹56473,12,00,000 was augmented by a total Supplementary Appropriation of ₹7132,00,00,000 obtained in financial year 2021-2022. Against the Final Appropriation of ₹63605,12,00,000 the actual expenditure was ₹64347,68,55,188 resulting in an excess expenditure of ₹742,56,55,188 which requires regularisation. The excess expenditure was incurred due to voluntary retirement cases, contingencies and sudden demise of Government servants. Pension and other Retirement Benefits are committed liability of the Government and are of inevitable nature.

#### रेल मंत्रालय

## MINISTRY OF RAILWAYS

रेल मंत्रालय के संबंध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष में अनुदान से अधिक व्यय की गई राशि।

Amount expended in excess of the Grant for the year ended 31st March, 2022, in respect of the MINISTRY OF RAILWAYS.

भारित (पूंजी) : पचपन करोड़ सोलह लाख दस हजार एक सौ उनचास रुपये। Charged (Capital): Fifty five crore sixteen lakh ten thousand one hundred forty nine rupees.

भाग Section	अन्तिम अनुदान/ Final Grant	वास्तविक व्यय/ Actual Expenditure	e अतिरिक्त व्यय/ Excess
	₹	₹	₹
पूंजी Capital			
भारित Charged	699,00,00,000	753,80,99,395	54,80,99,395
		गल	नत वर्गीकरण/Misclassification: 35,10,754
		निवल	अतिरिक्त व्यय/Net Excess: 55,16,10,149

₹92,08,00,000 के मूल विनियोजन को वित्त वर्ष 2021-2022 में प्राप्त ₹606,92,00,000 के कुल अनुपूरक विनियोजन द्वारा संवर्धित किया गया था। ₹699,00,00,000 के अंतिम विनियोजन के मुकाबले, वास्तविक व्यय ₹753,80,99,395 था, परिणामस्वरूप ₹55,16,10,149 (जिसमें ₹35,10,754 का गलत वर्गीकरण शामिल है) का अतिरिक्त व्यय हुआ, जिसका नियमितीकरण किया जाना अपेक्षित है। अतिरिक्त व्यय न्यायालयी डिक्रियों हेतु भुगतान के लिए किया गया था जो पहले प्रत्याशित नहीं थे।

The Original Appropriation of ₹92,08,00,000 was augmented by a total Supplementary Appropriation of ₹606,92,00,000 obtained in financial year 2021-2022. Against the Final Appropriation of ₹699,00,00,000 the actual expenditure was ₹753,80,99,395 resulting in an excess expenditure of ₹55,16,10,149 (includes misclassification of ₹35,10,754) which requires regularisation. The excess expenditure was incurred for payment towards court decrees that were not anticipated earlier.